न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 13/22 सन् 2022

आरसीएमएस संख्या 2022/73

बउनवानी :– 1. भगवान पुत्र श्री नारायण लाल शर्मा निवासी उदेई कलां तह0 गंगापुर सिटी

बनाम

1. श्रीमान ज्ञानचन्द जैमन ,तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. श्यामा देवी पत्नि स्व0 दिनेश कुमार ब्राहामण निवासी उदेईकलां, तह0 गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध तहसीलदार गंगापुर सिटी मे जैरकार प्रकरण नामा0 पत्रावली संख्या 10/2019 उनवानी भगवान सहाय बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री नन्दकिशोंर बैरवा वकील प्रार्थी

2. श्री महेन्द्र वर्मा वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 22.6.2022

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय तहसीलदार गंगापुर सिटी में विचाराधीन नामा0 पत्रावली संख्या 10/2019 उनवानी भगवान शर्मा बनाम तहसीलदार गंगापुर सिटी ,अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तहत न्यायालय ने अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ एक प्रार्थना पत्र बाबत नामा0 खोलने हेतु दिनांक 18.8.2020 को पेश किया जिस पर नोटिस वगै. जारी होने पर प्रार्थी के पिता ने जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात दौराने सुनवायी प्रार्थी के पिता नारायण लाल का देहावासन हो गया जिसकी सूचना माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय मे उत्तराधिकारियो को रिकार्ड पर लेने संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया परन्तु नारायण के वारिसानो को तलब करने का प्रार्थना पत्र कानून के विपरीत जाकर खारिज कर दिया गया जो पीठासीन अधिकारी की हटधर्मिता है उक्त प्रकरण मे आगामी पेशी 19.4.2022 नियत है। यह तर्क भी दिया अप्रार्थी संख्या 2 ने गांव मे एलानिया कहा कि आज तुम्हारे पिता के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर तहसीलदार जी हमारे पक्ष मे नामा0 खोल देगें। तहसीलदार द्वारा दिनांक 9.2.2021 को जिस तरीके से उक्त प्रकरण मे कार्यवाही की है उससे स्पष्ट है कि प्रकरण में साज कर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्व करने पर अमादा है। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि दिनांक 9.2.2021 को प्रार्थी के पिता के समस्त वारिसान का टाईटल तहत न्यायालय मे पेश किया था प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी अपने वृद्व पिता के साथ उनको लेकर तहसील मे आने पर हुई तथा शेष वारिसान पुत्रीया अपने ससुराल मे [illegible] प्रार्थी को किये गये आदेश से बाध्य नही किया जा सकता कि बगेर उनके वकालातन[illegible] करे । न्यायालय का कर्तव्य है कि मृतक के विधिक वारिसान को कानूनन [illegible] न्यायालय ने वकालात नामा शेष वारिसान का प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। उपरोक्त समस्त तथ्य यह बात साबित करते है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करेगें। प्रार्थी को उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद शेष नही होने के कारण प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:23:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि प्रार्थीया ने वसीयत नामा दिनांक 5.1.2015 के आधार पर नामा0 खुलवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र 10/2019 माननीय न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत किया है इस प्रकरण मे प्रार्थीया की सास स्व0 कल्याणी देवी के जीवनकाल मे उनके द्वारा निस्पादित वसीयत नामा दिनांक 5.1.2015 के आधार पर कल्याणी देवी की समस्त खातेदारी भूमि की वसीयत योगेश पुत्र दिनेश के नाम की थी जिसका नामा0 खोलने की प्रकियाधीन है किन्तु प्रार्थी उक्त कार्यवाही मे देरी करने की गरज से बार –बार माननीय न्यायालय के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देता है। इससे पूर्व में भी मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 8/2021 माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था जो श्री ज्ञानचन्द जैमन तहसीलदार गंगापुर सिटी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण दिनांक 12.10.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अब पुनः पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या एवं निराधार आरोप लगाते हुए श्रीमान के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 21.6.2019 को अपंजीकृत वसीयत दिनांक 5.1.2015 (नोटरी से प्रमाणित) का नामा0 दर्ज करने बाबत न्यायालय मे जैरकार है। प्रकरण मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी की जा रही है तथा सम्पूण कार्यवाही दोनो अधिवक्ताओं की उपस्थिति मे ही सम्पादित हो रही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। किन्तु पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी बार–बार निराधार तथ्यो के आधार मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने की दृष्टि से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य,सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है। यद्यपि पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी द्वारा लगाये आरोपो की पुष्टि नही होती है परन्तु इससे पूर्व भी इसी प्रकरण को लेकर पीठासीन अधिकारी के विरूद्व मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण की सुनवायी तहसीलदार वजीरपुर से करवाया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में जैरकार प्रकरण संख्या 10/2019 को सुनवायी हेतु तहसीलदार वजीरपुर के न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का 7 दिवस मे निस्तारण कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है उक्त प्रकरण की पत्रावली आज ही तहसीलदार वजीरपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.6.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:23:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर